मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 803/791/2017/20-2 भोपाल, दिनांक 20-4-17

आरटीई–निःशुल्क प्रवेश सत्र 2017-18 निर्देश कमांक–2

प्रति,

1. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश
2. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, मध्यप्रदेश
3. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषयः–सत्र 2017–18 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबध्र में।

सन्दर्भः–म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कं 738/791/2017/20-2 दिनांक 01.04.2017।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से विगत सत्र की भॉति ही शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है।

आवेदन की समस्त जानकारी तथा आवेदक द्वारा चाहे गये स्कूलों के विकल्प को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात आवेदक को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, पात्रता अनुसार आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

इस प्रक्रिया को ऑनलाइन संपन्न करने के संबंध में सर्न्दभित पत्र के माध्यम से कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये थे। इसी अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

1. **पोर्टल पर प्रारंभिक तैयारी :–**

1.1 सर्न्दभित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार समस्त पात्र गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में शामिल करने हेतु चयन किया जाये।

1.2 यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त स्कूल चयन हेतु छूटा न हो एवं कोई भी अपात्र स्कूल का चयन न किया गया हो।

1.3 जिन स्कूलों को चयनित नहीं किया गया है उनके चयन नही करने का कारण पोर्टल पर दर्ज किया जाये।

1.4 यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त चयनित स्कूलों का ग्राम/वार्ड, पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस की सीमा के चिन्हांकन हेतु सर्न्दभित पत्र की कंडिका 2 में उल्लेखित कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्ण कर लिया गया हो तथा कंडिका 3 के अनुसार दावा आपत्ति का निराकरण कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया हो।

1.5 समस्त चयनित स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटो का दर्ज किया जाना तथा बीआरसीसी द्वारा परीक्षण कर सीटों को लॉक किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त समस्त कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें।

2. **प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेज :–**

2.1 प्रवेश के लिये पात्रता

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो:–

वंचित समूहः–

- अनुसूचित जाति,
- अनूसूचित जनजाति,
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,
- विमुक्त जाति

  एवं
- निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)

कमजोर वर्गः–

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चो को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है।

2.2 प्रवेश के लिये निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक होंगे –

2.2.1 निवास का प्रमाण पत्र :–

ग्राम अथवा वार्ड/पड़ोस/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगेः–

- मतदाता परिचय पत्र,
- राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची,
- ग्रामीण क्षेत्र का जाबॅ कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल,
- कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें।

2.2.2 वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाणः–

वंचित समूह

वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो वहां परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। (विमुक्त जाति में शामिल है–बंजारा, हाबुदा, भातु, विजारिया, सनदुत्या, चन्द्रवेडिया, बैरगिया एवं सनोरिया)

बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बार्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

कमजोर वर्ग

कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी जीवित BPL कार्ड/अंत्योदय कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा।

शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यकम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

2.2.3 उम्र के संबध में प्रमाण पत्रः– आयु के संबध में निम्नानुसार पात्रता निर्धारित होगी।

कमाक	प्रवेश हेतु कक्षा	न्यूनतम आयु
1	नर्सरी/प्री–प्रायमरी	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष
2	कक्षा–1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05+ से 07 वर्ष।	

आयु की गणना 16 जून 2017 की स्थिति में की जावेगी। आवेदक को उक्तानुसार आयु संबंधी प्रमाण पत्र लॉटरी उपरांत स्कूल आवंटन के पश्चात् दस्तावेज परीक्षण समय प्रस्तुत करना होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।

जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,
(ख) आंगनवाड़ी का रिकार्ड,
(ग) पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्व घोषणा पत्र

बशर्ते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाणपत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

3 स्कूल वार आरिक्षत सीटों का प्रर्दशनः–

3.1 जिले वार एवं शाला वार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें तथा फीस पोर्टल पर प्रर्दशित की जायेगी। यह सूची संबधित विकासखंड के जनपद शिक्षा केन्द्र (बीआरसी कार्यालय), जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। इसे कार्यालय में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चस्पा की जायें।

3.2 आवेदक के ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस मे स्थित अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित सीट (शालावार/कक्षावार) की जानकारी आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

4 आवेदन करने की प्रक्रिया :–

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने में आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो वह संबधित विकासखंड के जनपद शिक्षा केन्द्र (बीआरसी कार्यालय) में जाकर वहॉ पर आरटीई प्रवेश हेतु स्थापित हेल्प डेस्क की सहायता से प्रवेश हेतु आवेदन कर

सकता है । क्योकि आवेदक कमजोर एवं वंचित समूह वर्ग से है जिनको ऑनलाइन आवेदन स्वयं करनें में परेशानी हो सकती है इसको दृष्टिगत रखतें हुये निर्देशित किया जाता है कि 01 माह हेतु बीआरसी कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करें, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु अतिरिक्त आपरेटर की व्यवस्था करे। आवश्यक होने पर एक माह हेतु आउटसोर्स मद से एक आपरेटर रखा जा सकता है

4.1 आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल **www.educationportal.mp.gov.in/rteportal** पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या शुल्क के डाउनलोड़ किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

4.2 आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक **01 मई से 15 मई 2017** तक पोर्टल पर दर्ज कर सकेगे। एक आवेदक केवल एक ही आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन मे कम से तीन स्कूलों का विकल्प दर्ज करना होगा, यदि किसी स्कूल के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन स्कूल नही है तो तीन से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी।

4.3 आवेदक द्वारा एक से अधिक स्कूलों में प्रवेश की पात्रता हेतु इसी आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज करायें जा सकते है। अतः स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भॅलीभॉति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें।

4.4 फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य हो।

4.5 लॉटरी पश्चात् स्कूल आवंटन उपरांत मूल दस्तावेजों के परीक्षण समय इसे उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

4.6 आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र डाउनलोड करते समय इसकी आवश्यकता होगी।

4.7 आवेदक की यह जिम्मेंदारी होगी कि वह आवेदन देने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम/वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत् है। प्रत्येक स्कूल की पड़ोस की सीमा एवं विस्तारित पड़ोस की सीमा कंड़िका 1 में उल्लेखित अनुसार बीआरसी द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।

ऑनलाईन आवेदन आर.टी.ई. पोर्टल पर दिनांक **01** मई **से 15 मई 2017** तक पंजीकृत किया जा सकेगा।

5. आवेदन में त्रुटि सुधार का विकल्प :–

आवेदक द्वारा पंजीकृत आवेदन मे यदि कोई त्रुटि हो गयी है तो आवेदक अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

5.1 आर.टी.ई. पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारी को पोर्टल पर अंकित करना होगा जिसके पश्चात् आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एक पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा उस पासवर्ड को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेगा।

5.2 आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प पोर्टल पर दिनांक **16 से 20 मई 2017** तक उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नही करता है तो यह माना जायेगा कि आवेदक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार संभव नहीं होगा।

6. आवेदन के बाद की प्रकियाः—

पोर्टल पर दर्ज लॉक किये गये आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन के माध्यम से **दिनांक 31 मई 2017** को एन. आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रो को गैर अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा।

6.1 ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल के आवंटन की प्रकियाः—

6.1.1 सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी।

6.1.2 प्रत्येक स्कूल की पड़ोस की सीमा एवं विस्तारित पड़ोस की सीमा कंडिका 1 में उल्लेखित अनुसार बीआरसी द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।

6.1.3 ग्राम/वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस के अतिरिक्त निवासरत आवेदको के आवेदनो को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नही किया जायेगा।

6.2 आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना :—

लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से **दिनांक 1 जून से 15 जून 2017** के मध्य स्वयं भी डाउनलोड़ कर सकेगा। आवेदको को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल/बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6.3 अशासकीय स्कूल आवंटन पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण तथा पात्र तथा अपात्र बच्चों की बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर रिर्पोटिंग :—

6.3.1 प्रत्येक गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल के लिये कलेक्टर के अनुमोदन से नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेगे, जिसकी पोर्टल पर अशासकीय स्कूल के साथ जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मेंपिंग की जायेगी, ताकि प्रवेशार्थी को भी नोडल अधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। यह कार्य अनिवार्य रूप से **दिनांक 30 अप्रैल 2017** तक पूर्ण कर लिया जाये।

6.3.2 रेण्डम प्रक्रिया से स्कूल का आवंटन होने के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ **दिनांक 01 जून से 15 जून 2017** के मध्य किसी भी दिन संबंधित विकासखंड के बीआरसीसी कार्यालय में दस्तावेजों के परीक्षण हेतु जाना होगा।

6.3.3 आवेदक आवेदन पत्र में उल्लेखित मूल दस्तावेज लेकर बीआरसी कार्यालय में जायेंगे। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र/जन्मतिथि के माध्यम से प्रवेश चाहा है उसके उसी केटेगरी (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन

जाति/विमुक्त जाति/ BPL कार्ड/ सीडब्ल्यूएसएन/अनाथ/वनग्राम पट्टाधारी) एवं निवास का सत्यापन, जन्मतिथि का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्य पाये जानें पर आवेदक को अंतिम रूप से आवंटित स्कूल में प्रवेश लेने हेतु पात्र किया जायेगा।

6.3.4 नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत पात्र होने की पुष्टि कर, हस्ताक्षर किये जायेंगे। यदि नोडल अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नही पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण दर्शाना होगा।

6.3.5 पात्र एवं अपात्र पाये गये बच्चों की बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री की जायेगी।

6.4 पात्र बच्चों का स्कूलों में प्रवेश एवं स्कूलों द्वारा प्रवेशित बच्चों की रिर्पोटिंग :–

6.4.1 पात्र पाये गये बच्चों को पोर्टल पर स्कूल के लॉगिन पर प्रर्दशित किया जायेगा। सत्यापन उपरांत पात्र पायें गये प्रवेशार्थी नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रारूप, आवंटन पत्र तथा दस्तावेजो की छायप्रति संबधित स्कूल में उपस्थित होकर प्रदान करेगा। यह आवेदन एवं दस्तावेज अशासकीय शाला में संबंधित बच्चे के रिकार्ड के रूप में रखे जायेंगे।

6.4.2 जिन बच्चों को स्कूल आवंटित किया गया है और उनके द्वारा प्रवेश ले लिया गया है उसकी जानकारी को पोर्टल पर स्कूल प्रबंधन द्वारा **दिनांक 01 जून से 20 जून 2017** के मध्य स्कूल के पासवर्ड से दर्ज की जायेगी।

6.4.3 प्रवेशित बच्चों के संबंध में अशासकीय स्कूल द्वारा तीन प्रतियों मे प्रवेश पत्र तैयार किया जायेगा। प्रमाण पत्र की एक प्रति अशासकीय स्कूल के अभिलेख मे रहेगी, दूसरी प्रति बीआरसी कार्यालय मे एवं तीसरी प्रति पालक को प्रदान की जायेगी। प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

उपरोक्त समस्त प्रक्रिया के पश्चात सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण में आवंटन की प्रकिया प्रथक से की जायेगी।

7. अधिनियम के अशासकीय स्कूल मे निःशुल्क प्रवेश के इस प्रावधान का अशासकीय स्कूल द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेब साइट, नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलो पर विज्ञापन द्वारा प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायें। इसके अतिरिक्त जिला/विकासखंड स्तर पर भी इसका प्रचार–प्रसार विभिन्न विज्ञापन माध्यम से अधिक से अधिक किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे वंचित समूह **एवं** कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे इस व्यवस्था से लाभान्वित हो सकें।

8. अधिनियम के इस प्रावधान के संबध में जन प्रतिनिधियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण किया जाये। उन्मुखीकरण के द्वारा उन्हे अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।

9. उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबध मे विकासखंड एवं जिला स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाये। इनके कार्यालयों के अधिकारियों के नाम एवं उनके दूरभाष की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की जाये। इस संबंध मे समस्या आने पर संबंधित विकासखंड के बीआसीसी कार्यालय, संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी तथा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र के आरटीई कक्ष से संपर्क किया जा सकता है।

10. उपरोक्त समस्त प्रकिया की समय सारणी **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है।

कृपया उक्त दिशा निर्देश जिले में स्थित सभी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों को भेजते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

20/4/17

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठाकंन क्रंमाक / 804/731/2017/20-2 भोपाल दिनांक 20-4-17
प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, म.प्र. भोपाल।
7. श्री सुनील जैन, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विध्यांचल, भोपाल की ओर उपरोक्त निर्देश अनुसार पोर्टल पर व्यवस्था की कार्यवाही बावत।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
11. विकासखंड श्रोत समन्वयक, समस्त विकासखंड म.प्र. की और उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत।

20/4/17

उप सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट–3

सत्र 2017–18 में अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश की समय–सारणी

क्र.	गतिविधि	समय–सीमा
1	कलेक्टर के अनुमोदन से नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं नवीन प्रक्रिया के तहत नोड़ल अधिकारियों का प्रशिक्षण	30 अप्रैल 2017 तक
2	आवेदन पत्रो का पंजीयन पोर्टल पर करना	01 मई से 15 मई 2017 तक
3	पोर्टल पर पंजीकृत आवेदनों की त्रुटि सुधार हेतु विकल्प उपलब्ध होना।	20 मई 2017 तक
4	रेण्डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा सीटों का आवंटन	31 मई 2017 तक
5	आवंटन पत्र डाउनलोड करना	दिनांक 01 जून से 15 जून 2017
6	अशासकीय स्कूल आवंटन पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण तथा पात्र तथा अपात्र बच्चों की बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर रिर्पोटिंग	दिनांक 01 जून से 15 जून 2017
7	पात्र बच्चों का स्कूलों में प्रवेश एवं स्कूलों द्वारा प्रवेशित बच्चों की रिर्पोटिंग	01 जून से 20 जून 2017 तक

परिशिष्टः–2

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश प्रमाण–पत्र सत्र 2017–18

प्रवेशित छात्र/छात्रा का संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित फोटो

- **स्कूल आई.डीः–------------**
- **स्कूल का डाइस कोडः–........................**
- **स्कूल का नामः–..**
- **छात्र/छात्रा का समग्र आई.डी :– ....**
- **छात्र/छात्रा का आधार कमाक :– ....**

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.. पुत्र/पुत्री श्री.................. .... को शैक्षणिक सत्र **2017–18** में कक्षा....................... अशासकीय स्कूल का नाम.. ....विकासखंड........................जिला............................को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के अशासकीय स्कूलों मे न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेशित किये जाने के प्रावधान अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है। संबंधित की श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जनजाति/बी.पी.एल. (अंत्योदय कार्ड)/निःशक्त CWSN/वनग्रामपट्टाधारी/विमुक्त जाति/अनाथ) .... है। इनके इस प्रमाण पत्र का क्रमांक .... प्रमाण पत्र का जारी दिनांक .... एवं प्रमाण–पत्र जारी कर्त्ता कार्यालय/अधिकारी ....है।

अशासकीय स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की कोई शिक्षण शुल्क नही ली जावेगी। यह शुल्क शासन द्वारा इस स्कूल को नियमानुसार प्रदाय की जायेगी। यदि बच्चे की स्कूल मे उपस्थिति शाला लगने के कुल दिवस से 75 प्रतिशत या अधिक होगी तभी यह वार्षिक शुल्क शासन द्वारा स्कूल को प्रदान की जावेगी।

संस्था द्वारा प्रवेशित बच्चे के साथ कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार नही किया जायेगा।

जारी दिनांक :–

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नोडल अधिकारी का नाम पद	प्रधानाध्यापक नाम पदमुद्रा

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C) के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश आवेदन पत्र सत्र 2017-18

आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने, स्कूल की जानकारी, प्रवेश के नियम, आवेदन एवं सीट आवंटन की स्थिति

www.educationportal.mp.gov.in/rteportal पर उपलब्ध है

A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी केपीटल लेटर मे भरे

1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी (यदि हो तो) ☐☐☐☐☐☐☐☐

2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी (यदि हो तो) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4. यदि आधार नंबर नहीं है तो अभिस्वीकृति नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B. प्रवेशार्थी के निवास एव संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार)

a) जिला.......................... जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम ....

b) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक .... ग्राम/वार्ड ....

c) मोहल्ला/बसाहट..मकान क्रं. एवं पता...

d) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

e) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

f) ईमेल ....

C. जन्म प्रमाण पत्र (यदि हो तो) के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता, अभिभावक की जानकारी

1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2) उपनाम (Surname) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3) जन्म तिथि DD/MM/YYYY दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

4) लिंग:- बालक / बालिका ☐

5) पिता का नाम .... माता का नाम ....

D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग:- ☐ श्रेणी का कोड दर्ज करें :- 1. वर्तमान स्थिति मे जीवित बीपीएल कार्ड धारी परिवार/अन्तोदय कार्ड धारी 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जन जाति 4. विमुक्त जाति 5. वनग्राम पटटाधारी 6. विकलांग (CWSN) 7. महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे

a) उपरोक्त श्रेणीयों (उपरोक्त सरल कंमाक 7 को छोड़कर) के संबध मे शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण

(i) क्रमांक............................... दिनांक ☐☐ माह ☐☐ ☐☐☐☐

(ii) जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पद नाम ....

(iii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्कता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकंलागता का प्रतिशत % ☐☐

E. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्मानुसार हैः-

स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक	चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS---------)	प्रवेष हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)	प्रवेशार्थी के निवास से इस स्कूल की दूरी कि.मी.	प्रवेशार्थी के निवास से इस स्कूल की सीमा का विवरण (ग्राम/वार्ड में, पड़ोस में, विस्तारित पड़ोस में)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नोटः- कॉलम कंमाक 5 मे प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल के ग्राम/वार्ड की सीमा का विवरण कोड निम्मानुसार भरा जाये यदि स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड में ही है तो ग्राम/वार्ड लिखें, यदि स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड के पड़ोस के ग्राम/वार्ड मे है तो पड़ोस लिखें, यदि यह स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड के विस्तारित पड़ोस ग्राम/वार्ड मे है तो, विस्तारित पड़ोस लिखें। कृपया ध्यान पूर्वक इसे भरें क्योकि प्रथम प्राथमिकता ग्राम/वार्ड के बच्चों को होगी, द्वितीय प्राथमिकता पड़ोस के बच्चों को होगी एवं अंतिम चयन विस्तारित पड़ोस से किया जायेगा।

माता/पिता/ अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी व स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही के लिये में जिम्मेदारी रहूंगा/रहूँगी। मेरे द्वारा एक ही आवेदन जमा किया जा रहा है, अन्य किसी स्थान पर आवेदन जमा नहीं किया गया है।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक ....

हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान
(माता/पिता/अभिभावक) का नाम

नोटः-

1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती सुरक्षित अपने पास रखे।
2. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक स्थानों मे आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा।
3. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक की जानकारी का मिलान प्रमाण पत्र यदि हो तो अंकित जानकारी से न होने की स्थिति मे सीट आवंटन अमान्य कर दिया जायेगा।
4. आवेदक को आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विधालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज प्रवेश के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति मे आवेदक का सीट आवंटन अमान्य कर दिया जायेगा।